संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
सतपुडा भवन भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक   /12/2014

क्रमांक–9 /नर्सिंग/सेल–3 /14/

आदेश

एल.एच.व्ही./ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू.(महिला) पद से विभागीय उम्मीदवार के रूप मे जनरल नर्सिग प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर, आई.एन.सी. दिल्ली द्वारा पुनरिक्षीत पाठ्यक्रम के मापदंड के अनुरूप विभागीय उम्मीदवारों को साढ़े तीन वर्षीय प्रशिक्षण में 6 माह की छूट देकर जनरल नर्सिग प्रशिक्षण 3 वर्ष मे पूर्ण करने हेतु चयन किया गया है। विभागीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार को निम्न शर्तो के अनुसार चयनित कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाया गया प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जाता है :–

क.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	जाति	वर्तमान पदस्थापना स्थान	आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
1	श्रीमती टेरेसा खेस	अनु.ज.जा.	सा.स्वा.के.झिरनिया जिला खरगौन	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खंडवा

उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तो पर जनरल नर्सिग प्रशिक्षण हेतु पात्रता होगी:–

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 11.12.2014 तक निम्नलिखित शर्त के आधार पर कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
2. चयनित उम्मीदवार का मध्यप्रदेश नर्सेस काउन्सिल का जीवित पंजीयन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र(गर्भवती महिला को अस्थाई अनफिट माना जायेगा) कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पूर्व वर्ष 2014 का पंजीयन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जाति की पुष्टि करने के उपरांत कार्यमुक्त किया जायेगा।
3. उम्मीदवार दिनांक 15.12.2014 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होगे नियत तिथि मे उपस्थित नहीं होने वाले कर्मचारियों का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा एवं एक वर्ष का अवकाश पात्रता अनुसार स्वीकृत कराना होगा। 2 वर्ष के अध्ययन अवकाश का आवेदन पत्र सी.एम.ओ./सी.एस. के माध्यम से प्रस्तुत करें एवं व्यक्तिगत खाते में शेष अवकाश की जानकारी पृथक–पृथक अवकाश फार्म में अभिमत सहित प्रस्तुत करें।
5. चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण के बाद कम से कम 3 वर्ष की शासकीय सेवा स्टाफ नर्स के पद करना अनिवार्य है। इस आशय का अनुबंध(बाण्ड) करने के पश्चात ही कार्यमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. चयनित उम्मीदवार यदि प्रशिक्षण किसी भी कारणवश बीच में छोड़ देता है तो उसको आगामी 5 वर्षो तक प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
7. चयनित उम्मीदवार को होस्टल मे निवास करने की स्थिति में होस्टल के नियमो का पालन करना होगा अन्यथा उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नियमित उपस्थिति अनिवार्य।
9. प्रशिक्षण उपरान्त उम्मीदवारों की पदस्थापना प्रदेश के किसी भी स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर की जावेगी। रिक्त पद उपलब्ध होने तक उन्हें अपने पूर्व पद पर ही कार्यरत रहना होगा एवं इस संबंध में किसी प्राकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
10. चयनित उम्मीदवार को निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म) पहनना अनिवार्य होगा।
11. प्रशिक्षण अवधि मे समान्यतः कोई भी अवकाश देय नही होगा।

12. **प्रशिक्षण के उपरांत रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल मध्यप्रदेश द्वारा परिक्षायें आयोजित की जावेगी जिसके लिए जो भी शुल्क निर्धारित होगा, वह देय होगा।**

संचालक(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

पृ0क्र09 / नर्सिंग / सेल–3 / 14 / 1222 भोपाल, दिनांक 5 / 12 / 2014

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं, इंदौर संभाग मध्य प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खरगौन की और प्रेषित कर लेख है कि आदेश में दर्शायी गई शर्तो का पालन करते हुए कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. प्राचार्य जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र खंडवा की और प्रेषित कर लेख है कि उपस्थित उम्मीदवारों के निम्न मूल प्रमाण पत्रों का पूर्णरूप से परीक्षण करने की पश्चात् ही उपस्थित करवायें :–
   - 10+2 12 वीं की उत्तीर्ण अंक सूची एवं जाति प्रमाण पत्र।
   - जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (फिटनेस)।
   - महाकौशल नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र 2014 की स्थिति में।
4. रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौसिल गोवन्तिका परिसर तीसरी मंजिल बारह दफतर के पास जवाहर चौक भोपाल मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।
6. श्रीमती टेरेसा खेस, सी.एच.सी झिरनिया जिला खरगौन की और पालनार्थ।
7. आदेश नस्ति।

संचालक(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश